



2026:AHC:22218

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट ए संख्या - 1329 वर्ष 2026

बृजपाल सिंह

.....याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य

..... प्रत्यर्थी(गण)

याचिकाकर्ता(गण) के अधिवक्ता : कैलाश प्रकाश पांडेय

प्रत्यर्थी(गण) के अधिवक्ता : सी.एस.सी.

न्यायालय सं.-33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार।

- हमने याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री के.पी. पांडे और राज्य के विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री जितेंद्र प्रसाद को सुना।
- याचिकाकर्ता की शिकायत यह है कि याचिकाकर्ता, जो कि डेड कांस्टेबल हैं और 31.12.2024 को सेवानिवृत्त हुए, लेकिन उन्हें जीपीएफ और अन्य लाभों का भुगतान नहीं किया गया है।
- विद्वान अतिरिक्त मुख्य स्थायी अधिवक्ता ने निवेदन किया कि याचिकाकर्ता के दावे का निर्णय द्वितीय प्रत्यर्थी, निदेशक, पंचायती राज विभाग, पंचायती राज अनुभाग-3, लखनऊ, उत्तर प्रदेश द्वारा किया जाएगा।
- उपरोक्त निवेदनों पर विचार करते हुए, रिट याचिका का निष्तारण करते हुए याचिकाकर्ता को निर्देश दिया जाता है कि वह रिट याचिका की स्व-सत्यापित प्रति और आदेश की प्रमाणित प्रति सहित एक विस्तृत अभ्यावेदन द्वितीय प्रत्यर्थी, निदेशक, पंचायती राज विभाग, पंचायती राज अनुभाग-3, लखनऊ, उत्तर प्रदेश के समक्ष 12.02.2026 तक प्रस्तुत करे। इसके बाद, द्वितीय प्रत्यर्थी तीन माह की अवधि के भीतर याचिकाकर्ता के दावे का निर्णय करेगा।

2 फरवरी, 2026

राजेश

(न्यायमूर्ति विकास बुधवार)

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"